

Date
23/05/2020

Subject - New Efforts in Elementary Education

Topic - Ch-1st - Revision work

D.Ed. Ed.
2nd sem

4.] अनुच्छेद 21 (A) \Rightarrow Free and Compulsory Education for children.

पूर्व में अनुच्छेद 45 में यह बालकों के लिए नि:शुल्क व अनिवार्य शिक्षा का निर्देश था। लेकिन 86 वें संसोधन अधिनियम 2002 द्वारा अनुच्छेद 45 के स्थान पर नए अनुच्छेद 21A या 21(A) द्वारा इस अधिकार को एक मूल अधिकार बना दिया गया।

5.] अनुच्छेद - 28 के अनुसार - राज्यप्राधिकृत शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या उपासना का निषेध

संसोधन में -
अनुच्छेद 28 - 1 प्रकार की शैक्षिक संस्थाओं का उल्लेख करता है।

- (i) राज्य द्वारा पूरी तरह से वित्तपोषित संस्थाएं - किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा निषेध
- (ii) राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाएं - लोगों की सम्मति के साथ धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है।
- (iii) राजपनिधि से प्राप्त सहायता वाली संस्थाएं - जा सकती हैं।
- (iv) राज्य प्रशासित किन्तु किसी धर्मस्व या न्यास के अधीन संस्थाएं - कोई प्रतिबंध नहीं है।

6.] अनुच्छेद - 29 \rightarrow Right to Preserve Language, Script or Culture

अनुच्छेद - 29 के अनुसार शैक्षिक - "अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण"

यह अनुच्छेद भारतीय क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों के किसी भी वर्ग को, जिनकी अपनी विशेष लिपि या संस्कृति है वगैरह रखने का अधिकार प्राप्त करता है।